

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए
एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2180/2012

हाफिज़ुर रहमान पुत्र अज़ीज़ुर रहमान, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी ग्राम नाहरगढ़ तहसील
किशनगंज, जिला बारां, वर्तमान निवासी 1-डी-5, छतरपुरा तालाब (विज्ञान नगर), कोटा
(राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर
- राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से ।
- राज्य सरकार, तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां के माध्यम से ।
- नारायण कोली पुत्र श्री नाथूलाल, निवासी ग्राम नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां ।
- शिव राज गुसाईं श्री केदार के पुत्र लाल, ग्राम नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां के निवासी ।
- ललित लक्ष्मण का पुत्र लाल, ग्राम नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां के निवासी ।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री संजय महर्षि के साथ
श्री राकेश सैनी
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री नीरज बत्रा, जीसी के साथ
श्री रविंदर पाल सिंह एवं
श्री टेक चंद शर्मा
श्री अमित जिंदल

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश

06/09/2024

- यह याचिका राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 (जिन्हें आगे 'प्रतिवादी' कहा जाएगा) की समीक्षा याचिका स्वीकार करते हुए पारित दिनांक 16.01.2012 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने भूमि आवंटन समिति, किशनगंज के समक्ष 29.05.1968 को किशनगंज तहसील के नाहरगढ़ गांव में खसरा संख्या 459 में पंद्रह बीघा जमीन के आवंटन के लिए आवेदन दायर किया था । 29.05.1968 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को दस बीघा जमीन आवंटित की गई थी। तहसील किशनगंज के नाहरगढ़ गांव के खसरा संख्या 459 में दस बीघा जमीन अब्दुल सलीम खान नामक व्यक्ति को भी आवंटित की गई थी । दोनों जमीनों का भौतिक कब्जा सौंप दिया गया था और खातेदारी अधिकार याचिकाकर्ता के साथ-साथ अब्दुल सलीम खान को वर्ष 1980 में प्रदान किए गए थे। अब्दुल सलीम खान के कानूनी उत्तराधिकारियों ने 11.01.1994 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम

से आवंटित दस बीघा जमीन याचिकाकर्ता को बेच दी 19.11.2004 को, प्रतिवादियों ने उप-मंडल अधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में याचिकाकर्ता को भूमि आवंटन को चुनौती देते हुए एक वाद दायर किया। 31.12.2009 को यह वाद खारिज कर दिया गया। वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों ने राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 14(4) के अंतर्गत याचिकाकर्ता और अब्दुल सलीम खान के पक्ष में आवंटन रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। यह दलील दी गई कि अब्दुल सलीम खान का अस्तित्व ही नहीं है और याचिकाकर्ता ने स्वयं भूमि आवंटित करवाई थी, जिसे बाद में एक पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया। 28.02.2007 को यह आवेदन खारिज कर दिया गया।

3. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी और बोर्ड ने प्रतिवादियों की प्रथम और द्वितीय अपीलें क्रमशः 19.01.2008 और 12.03.2008 को खारिज कर दीं। प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को बोर्ड ने 16.01.2012 को स्वीकार कर लिया। मामले को दिए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुसार निर्णय हेतु अपर कलेक्टर को भेज दिया गया। अतः वर्तमान याचिका।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित की गई थी क्योंकि उसकी भूमि गाँव के तालाब के अंतर्गत आती थी। तर्क यह है कि भूमि आवंटन को पैंतीस वर्ष से अधिक समय बाद चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए, बोर्ड ने अपील पर पुनः सुनवाई की है और यह आदेश टिकने योग्य नहीं है।

5. इसके विपरीत, धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी था और ज़मीन के आवंटन का हकदार नहीं था। तर्क यह है कि अब्दुल सलीम खान नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और यह याचिकाकर्ता द्वारा दस बीघा ज़मीन और पाने के लिए किया गया एक पर्दा था। तर्क यह है कि बोर्ड ने केवल मामले को वापस भेज दिया है।

6. भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 86 समीक्षा की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 86(3) के अनुसार, समीक्षा हेतु आवेदन आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में उल्लिखित किसी भी आधार पर किया जा सकता है। उपलब्ध आधार वे हैं जहाँ कोई महत्वपूर्ण मामला या मामला प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्योंकि डिक्री पारित करते समय पक्षकार को इसकी जानकारी नहीं थी, या अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट थी, या कोई अन्य पर्याप्त कारण था।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने परसियन देवी एवं अन्य बनाम सुमित्री देवी एवं अन्य (1997) 8 एससीसी 715 के मामले में यह निर्णय दिया है:-

"आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि रिकॉर्ड पर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है, तो निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे

तर्क की प्रक्रिया द्वारा पकड़ा जाना है, उसे रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता है जो न्यायालय को आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का औचित्य प्रदान करती है।

आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, किसी त्रुटिपूर्ण निर्णय की 'पुनः सुनवाई और सुधार' की अनुमति नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि एक समीक्षा याचिका का एक सीमित उद्देश्य होता है और इसे 'छिपी हुई अपील' नहीं बनने दिया जा सकता।

9. प्रतिवादियों ने एक ही आवेदन दायर करके याचिकाकर्ता और अब्दुल सलीम खान को भूमि आवंटन को चुनौती दी। याचिकाकर्ता पर सरकारी कर्मचारी होने का तथ्य छिपाने का आरोप लगाया गया था। अब्दुल सलीम खान को भूमि आवंटन को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि उनका अस्तित्व ही नहीं है और याचिकाकर्ता ने ही भूमि आवंटित कराई थी और बाद में पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उसे अपने नाम पर हस्तांतरित करा लिया था।
10. प्रतिवादी तीनों मंचों पर असफल रहे, पहला, आवश्यक पक्षों अर्थात् अब्दुल सलीम खान या उनके एल.आर. को पक्षकार न बनाने के कारण; दूसरा, यह साबित करने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता एक सरकारी शिक्षक था; तीसरा, यह तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता को भूमि का आवंटन इसलिए किया गया क्योंकि उसकी भूमि गाँव के तालाब के अंतर्गत आती थी; और अंतिम, यह कि आवंटन को पैंतीस वर्षों से अधिक समय के बाद चुनौती दी गई थी। बोर्ड ने दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय इन पहलुओं पर विचार किया।
11. बोर्ड ने समीक्षा पर विचार करते हुए वस्तुतः अपील पर पुनः सुनवाई की तथा तीनों मंचों द्वारा उठाए गए तर्कों की गहराई में जाकर सुसंगत निष्कर्ष दर्ज किए।
12. एक और पहलू जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि प्रतिवादियों ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को भूमि आवंटन को चुनौती देते हुए घोषणा हेतु वाद दायर किया था। वाद के लंबित रहने के दौरान, एक साथ दो नावों में यात्रा करने के प्रयास में, नियम 14(4) के अंतर्गत कार्यवाही का सहारा लिया गया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रतिवादियों द्वारा दायर वाद खारिज कर दिया गया था। 13. पुनरीक्षण की स्वीकृति और विशिष्ट निर्देशों के साथ मामले को वापस भेजने के परिणामस्वरूप मामले की पुनः सुनवाई हुई और डेनोवो जाँच का आदेश दिया गया। बोर्ड ने पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।
14. विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है।
15. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिका इस आधार पर स्वीकार की जा रही है कि मामला समीक्षा प्रावधानों के दायरे में नहीं है।

(अवनीश झिंगन),जे

रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी